□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभा□

□□ज□ □□□
अतारां□कित प्रश्न □ख□□: 3434
23 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सक

3434. श्र□ □□□ □□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(□) क्या स्पोट्स इंजरी सटर, □□□□□□□ □स□□□□ □□ □□□ □□□-□□□□□ □□□□□□ □स□□□□ □□□□□ चिकित्सकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के □□□ □□□□□□ f□□□ □;
(□) □f□ □□;□□□ क□□ □□□ □□f□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □;
(□) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने से पहले ही वे निजी अस्पतालों म सेवाभार ग्रहण □□ □□□□□; □□
(□) □f□ □□;□□□ □□□□□□रुद्ध क□□ □□□□□□ □ो □□ □?

□त्त□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज□ □त्री□ (श्र□ □□श्वे□□ □□□□□ □□□)

(□) □□(□): □□. □□□ □□□□□ □□□□□□ □स□□□□ □□□ □□□□□□□ □स□□□□, स□□□□ □□□□ □न्द्र □□□□ □न्द्री□□ स□□स्थ्य □□□ (□□□□□□□) □□□□ □□केन्द्र □□□□□□□ □स□तालों के डॉक्ट□ों □□□□□□ओं □□स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□-□□□ □□ प्र□प□ □□□□□□□□□□□ □□□ पर वतमान नियमों तथा प्रक्रियाओं के आधार □□ □□□□ □□□ □□□□□□□

□□□ □□ □, □□□□□□ □ो □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□ □□क□र का सक्षम प्राधिकारी को पूवानुमति के बिना निजी □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□

प्रत्येक मामले म सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निणय के अनुसार उचित कारवाई को □□□□ □□□

.....